

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-23/2016/1181/तीस-4-2016-1(सा0)/2016
लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2016

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 4 के खण्ड (11) और नियम 47 के उप नियम (1) के खण्ड (ड.) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, सन् 1988) की धारा 28 की उप धारा (2) के खण्ड (ट) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-212 की उप धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या-20/2016/915/तीस-4-2016-1(सा0)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के अनुसरण में आमंत्रित आपत्तियों एवं सुझावों के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (बाइसवों संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

- 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (बाइसवों संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 18-क
का संशोधन

- 2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 18-क के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्,

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

18क- पते व आयु के प्रमाण के लिए दस्तावेज: मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न निम्नलिखित दस्तावेज लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पता और आयु के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (1) मतदाता पहचान पत्र,
- (2) पेंशन पासबुक,
- (3) शस्त्र लाइसेंस
- (4) पहचान पत्र (केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी)।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18क- पते व आयु के प्रमाण के लिए दस्तावेज: मोटर ड्राइविंग लाइसेंस और यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-4 में विनिर्दिष्ट से भिन्न निम्नलिखित दस्तावेज लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पता और आयु के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

- (1) मतदाता पहचान पत्र,
- (2) पेंशन पासबुक,
- (3) शस्त्र लाइसेंस
- (4) पहचान पत्र (केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी)।
- (5) आधार कार्ड।

आज्ञा से,

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-23/2016/1181(1)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 11 अगस्त, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-23/2016/1181(2)/तीस-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, (द्वारा परिवहन आयुक्त)
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In Pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.23/2016/1181/XXX-4-2016-1(sa.)/2016 dated August 11, 2016

Notification

No.23/2016/1181/XXX-4-2016-1(sa.)/2016
Lucknow Dated August 11, 2016

In exercise of the powers under clause (k) of sub-section (2) of section 28 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with clause (11) of rule 4 and clause (e) of sub rule (1) of rule 47 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after inviting the objections and suggestions vide by notification no. 20/2016/915/XXX-4-2016-1(sa.)/2016, dated July 06, 2016 as used under sub section 212 of the said Act of 1988.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (TWENTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and
Commencement

- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Twenty Second Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of
rule 18-A

- In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 for the existing rule 18 A set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

**Column-1
Existing rule**

18-A Documents for the proof of address and age: For issue of Motor Driving License and Vehicle Registration Certificate the following documents, other than those specified in rule-4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 may also be accepted by the Licensing Authority as evidence of address and age namely:-

- (1) Voter Identity Card,
- (2) Pension Pass Book,
- (3) Armes License,
- (4) An Identity Card (in case of Central Government or State Government employees, issued by the employer.)

**Column-2
Rule as hereby substituted**

18-A Documents for the proof of address and age: For issue of Motor Driving License and Vehicle Registration Certificate the following documents, other than those specified in rule-4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 may also be accepted by the Licensing Authority as evidence of address and age namely:-

- (1) Voter Identity Card,
- (2) Pension Pass Book,
- (3) Armes License,
- (4) An Identity Card (in case of Central Government or State Government employees, issued by the employer.)
- (5) Aadhar Card.

By Order,
Sd/

(Kumar Arvind Singh Deo)
Principal Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।